शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्याः 418 / अड़तीस–5–2016–25 एम / 2002

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा,
चित्रकूट एवं हमीरपुर।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 02 मई, 2016

विषयः– प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन / रिबोरिंग ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु ग्राम्य विकास विभाग एवं नियोजन विभाग द्वारा कमशः 5786 नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प एवं 3527 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य निम्नवत स्वीकृत किये गये है :–

क0	जनपद	प्रस्तावित नये हैण्डपम्पों की संख्या (बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था 2016–17)	प्रस्तावित रिबोर हैण्डपम्पों की संख्या (त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2015–16 एवं 2016–17)
1	जालौन	800	400
2	झांसी	1100	446
3	ललितपुर	1000	616
4	बांदा	560	813
5	महोबा	700	575
6	चित्रकूट	1000	336
7	हमीरपुर	626	341
	योग	**5786**	**3527**

2– इस सम्बन्ध में दिनांक 29 अप्रैल, 2016 को कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्देश हुए हैं कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु स्वीकृत कुल 3527 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य दिनांक 31 मई, 2016 तक एवं 5786 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन माह जून, 2016 के पूर्व प्रत्येक दशा में किया जाना लक्षित है।

3– उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार लक्षित नये / रिबोर हैण्डपम्पों को नियत समयसीमा के अन्दर अधिष्ठापित कराये जाने हेतु स्थल चयन से सम्बन्धित अनुमोदित सूची कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश जल निगम को तत्काल उपलब्ध करा दिये जांय, ताकि हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन / रिबोरिंग का कार्य समयान्तर्गत कराया जा सके।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 418 (1)/अड़तीस–5–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

D:\Mahesh Joshi\2016\G.K.S\GO-2016.docx